पेरोकार सरकार
वास्ते जवाब हेतु पेश दिनांक 29।
को पेश हो। S.DO

9/01/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार पास देवल का जवाब पेश हुआ। सम्पूर्ण पत्रावली के अध्ययन और प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि के संबंध में दाद चाही गई है वह ख.नं. 2242 किस्म चारागाह होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह मुख्य बात है कि स्वयं प्रार्थीगण द्वारा ख. नं. 2207 वर्तमान ख.नं. 2242 किस्म चारागाह होना अंकित किया गया तथा साथी जो दस्तावेज पेश किये गए उसमें उसके स्वयं द्वारा अतिक्रमी होना साबित होता है तथा एक अतिक्रमी को किसी प्रकार से कोई सहायता उसके पक्ष की प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकरण में इसी स्तर पर खारीज किया जाना न्यायोचित पाता हूं। अतः प्रकरण को खारीज किया जाकर हेतु तहसीलदार पालदेवल की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ख.नं. 2242 किस्म चारागाह रकबा 5.4200 हेक्टेयर के संबंध में वादीगण कान्तिलाल, हीरालाल

बाबूलाल पिता लालजी यादव के वार अनुसार ख.नं. 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट सप० धारा 88,188 रा० का० अधिनियम के तहत खातेदारी हक करवाना चाहते हैं किन्तु उक्त ख०नं० 2242 किस्म चारागाह होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबंधित है।

अत: प्रकरण को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

Scanned with OKEN Scanner